<u>संख्या-10/2017/1596/एक-4-17-रा0-4</u>

प्रेषक,

धीरज पाण्डे,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0,लखनऊ।

2-मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, कानपुर मण्डल एवं मुरादाबाद मण्डल ।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर,2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में मण्डलायुक्त कार्यालय हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या-1467/एक-4-2017-रा0-4 दिनांक 13 सितम्बर, 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 मे मण्डलायुक्त कार्यालय हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप आयुक्त देवीपाटन एवं कानपुर मण्डल हेतु 02' इनोवा वाहन क्रय किये जाने हेतु प्रति वाहन रूपया-12,16,782/- की दर से अर्थात कुल रूपये- 24,33,564/- (रूपये चौबीस लाख तैतीस हजार पांच सौ चौसठ मात्र) एवं 02 वोलेरो वाहन प्रति वाहन रूपये 5,95,441/- की दर से अर्थात कुल रूपये 11,90,882/- (ग्यारह लाख नब्बे हजार आठ सौ बयासी मात्र) अर्थात कुल रूपये-36,24,446/- (रूपये छत्तीस लाख चौबीस हजार चार सौ छियालीस मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की कतिपय शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर,2017 के साथ संलग्न परिशिष्ट-क में त्रुटिवश इनोवा वाहन हेतु रूपयें 12,69,214/- अंकित हो गया है। अत शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर,2017 के साथ संलग्न परिशिष्ट-क [redacted]-4 व 5 में अंकित धनराशि रूपयें 12,69,214/- को संशोधित करते हुए उसके [redacted] रूपयें 12,16,782/- अंकित किये जाने एवं योग के कालम में रूपयें 25,38,428/- के स्थान पर रूपया 24,33,564/- अंकित किया जाता है।

3- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-1467/एक-4-2017-रा0-4 दिनांक 13 सितम्बर, 2017 के साथ संलग्न परिशिष्ट-क के शेष विन्दु यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(धीरज पाण्डे)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-10/2017/1596(1)एक-4-17-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय),उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय),उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2।

5- राजस्व अनुभाग-6/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।